


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
राजस्थान सरकार
जिला - उदयपुर (राज0)
कैम्प-ग्रामीण सेवा शिविर-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

--: आदेश :-

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-बन्जारिया..... व भू
 - अभिलेख निरीक्षक, वृत्त-खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंषा के आधार पर
 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. खैरवाडा खालसा
 पटवार मण्डल-बन्जारिया तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की
 जमाबन्दी संवत्-2075-2078..... में खाता संख्या-152..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप
 से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
खैरवाडा खालसा	152	आशिष कुमार पुत्र धर्मा 1/24 व मीणा पुत्र धर्मा 1/24 हिस्सा	आशिष कुमार पुत्र धर्मा हिस्सा 1/12

ON
 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 खैरवाडा, अधिकारी (राज.)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा
 जिला - उदयपुर (राज0)

क्रमांक :- सेवा शिविर-2025 / 18 / 2025 / 1529-1546

दिनांक :-18.09.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री आशिष कुमार पुत्र धर्मा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

